प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

इटावा

सेवा में,

प्रबन्धक,

किड्स वैली स्कूल,

बसरेहर-इटावा।

पत्रांक– अस्था0मान्यता / 2756-57 / 2006–07 दिनांक– 2.9.06

विषय– प्राथमिक विद्यालयों की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके विद्यालय के नवीन अस्थायी मान्यता का आवेदन पत्र सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ नगर शिक्षा अधिकारी की अभीष्ठ जॉच आख्या एवं संस्तुति के आधार पर जनपदीय समिति की बैठक में विचार किया गया। समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार शासन की राजाज्ञा संख्या 1073/ 15.06.1998–18–एस0–7/ 89 दिनांक 13 जुलाई 1998 एवं 1873/ 15.06.1998–18 एस0(7) / 89 दिनांक 10 सितम्बर 1998 में निहित प्राविधानुसार आपके विद्यालय की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति शैक्षिक सत्र 2006-07 से प्रदान की जाती है। इस अस्थायी मान्यता प्राप्ति के 05 वर्ष में यह भी प्रतिबन्ध है कि इस अवधि की समाप्ति पर स्थायी मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा तथा स्थायी मान्यता हेतु सभी शर्तो को आवश्यक रूप से इस अवधि के भीतर आपके स्तर से पूरा करना होगा।

जनसंख्या एवं क्षेत्रीय आवश्यकता तथा छात्रों के हित को दृष्टिगत रखते हुये जनहित में आपके द्वारा आवेदन तथा अंकित अपेक्षित अभिष्टतम संस्तुति पर प्राथमिक विद्यालय की नवीन अस्थायी मान्यता की स्वीकृति इस आशा एवं विश्वास के साथ प्रदान की जाती है कि आप विशेष प्रयास करके निर्धारित समय प्रतिबन्धो की पूर्ति अवश्य किये रहेंगे।

यहॉ पर यह तथ्य भी विशेष उल्लेखनीय है कि यदि इनमें कोई तथ्य छिपाया गया हो अथवा गलत सूचना/ अभिलेख प्रस्तुत किये गये होगे तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा। अतः अस्थायी मान्यता दौरान जांच करने पर यदि किन्ही शर्तों में कोई त्रुटि/ कमी पायी जाती है अथवा नियम/ शर्तों का पालन नही किया जाता है तो प्रश्नगत विद्यालय की अस्थायी मान्यता प्रत्याहरण की कार्यवाही बेसिक शिक्षा अधिनियम की धारा–12 के अनुसार की जायेगी।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

इटावा

पृ0सं0–अस्था0 मान्यता / /06–07 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. नगर शिक्षा अधिकारी इटावा
2. सम्बन्धित सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

इटावा

D:\backup comp2\GOYAL\MANYATA1.DOC

KAUSHAL KISHOR
PRINCIPAL
KIDS VALLEY SCHOOL
BASREHAR, ETAWAH-206253